HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. C/4466 / III-6-4/72 JJB

Jabalpur, dated 05/10/2019

The Order of the Government of M.P., Department of Women & Child Development, Bhopal No. 3689/1204/2019/50-II under Rule 6(7) of Juvenile Justice(Care & Protection of Children) Rules, 2016 is forwarded to;

1. Registrar Cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. District and Sessions Judges/Principal Magistrates .... for information and necessary action .
5. The Joint Registrar (Protocal), High Court of M.P., Jabalpur for information,
6. The Joint Registrar, Confidential and the Section Officer, Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information ,
7. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

5/10/19

(B.P. SHARMA)
REGISTRAR (D.E.)

:-:

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 20/9/19

कमांक 3681/1204/2019/50-2 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 6 (7) में किशोर न्याय बोर्ड के कार्य दिवसों के बारे में प्रावधानित है कि **"बोर्ड सभी कार्यदिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य–समय के अनुरूप न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिले में लंबित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भूभाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोर्डों का गठन न किया हो"।**

2/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क. **C/2958/III-6-4/72-IX** दिनांक 28/06/2019 अनुसार किशोर न्याय बोर्ड इंदौर, सीधी एवं सिंगरौली जिले में कार्यदिवसों की संख्या निर्धारित कर आदेश जारी किये जाने हेतु लेख किया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार निम्न. तालिका के कॉलम क्रमांक 02 मे उल्लेखित किशोर न्याय बोर्ड हेतु कॉलम कमांक 3 मे उल्लेखित कार्य दिवस निर्धारित करता है:–

कमांक	किशोर न्याय बोर्ड	बोर्ड बैठक हेतु निर्धारित कार्य दिवस
1	2	3
1.	इंदौर	सभी कार्य दिवस
2.	सीधी	गुरूवार एवं शुक्रवार (2 दिवस)
3.	सिंगरौली	गुरूवार एवं शुक्रवार (2 दिवस)

19/9/19

(शैलबाला मार्टिन)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

Scanned by CamScanner

पृ0 / ठां0 कमांक 3690/1204/2019/50-2 भोपाल, दिनांक 20/9/19

प्रतिलिपिः–

12. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
13. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
14. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।
15. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, संचालनालय, भोपाल।
16. संभागीय आयुक्त, इंदौर एवं रीवा मध्यप्रदेश।
17. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला संबंधित, मध्यप्रदेश।
18. कलेक्टर, जिला संबंधित, मध्यप्रदेश।
19. प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, जिला संबंधित, मध्यप्रदेश।
20. संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला संबंधित।
21. जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला संबंधित।
22. अनुभाग अधिकारी–2 / गार्ड फाइल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभा

Scanned by CamScanner